



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06082021-228794
CG-DL-W-06082021-228794

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 25] नई दिल्ली, जुलाई 25 - जुलाई 31, 2021, शनिवार/ श्रावण 3 - श्रावण 9, 1943
No. 25] NEW DELHI, JULY 25 - JULY 31, 2021, SATURDAY/ SRAVANA 3 - SRAVANA 9, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 80.— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949, (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) तथा सूबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) तथा सूबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) तथा सूबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम, 2015 (जिसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) नियम-2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्

“2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।”

3. उक्त नियमों की, अनुसूची में, -

(1) क्रम संख्या 1] सूबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक) के पद के सामने

(अ) स्तंभ (4) में,-

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर।”;

(ii) विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स रुपये 47600-151100 में स्तर-8”;

ब) स्तंभ (11) में, शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर “ ऐसा निरीक्षक(हिंदी अनुवादक) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उस श्रेणी में दो वर्ष की अन्यून की नियमित सेवा की है”, शब्दों, कोष्ठक, अंकों और अक्षरों में “निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) वेतन मैट्रिक्स रुपये 44900-142400 में स्तर-7 में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो” प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(2) क्रम संख्या 2 में] ‘निरीक्षक(हिंदी अनुवादक)’ के पद के सामने

(क) स्तंभ (4),-

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा:-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर।”;

(ii) विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :-

“वेतन मैट्रिक्स रुपये 44900-142400 में स्तर-7 ”;

(ख) स्तंभ (11) खंड (क) में,-

(i) मद (ii) में, शब्दों, अक्षरों और अंकों के लिए “9300-34800 रु. और 4200 रु. के ग्रेड वेतन के वेतनमान ” को शब्द, अक्षर और अंक के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स रुपये 35400-112400 में स्तर-6 से ” रखे जाएंगे;

(ii) मद (iii) में, शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “ 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन के वेतनमान में 2800” को शब्दों अक्षरों और अंकों के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स रुपये 29200-92300 में स्तर-5” रखे जाएंगे।

[फा. सं. आर.नौ.1/2020 -मंत्रा0-डीए.3-पर्स- II]

ललित कपूर, उप सचिव(कार्मिक- II)

टिप्पण :- मूल नियम अधिसूचना सा.का.नि.797(अ) तारीख 20 अक्टूबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड -(3), उप खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 29th July, 2021

G.S.R. 80.—In exercise of the powers conferred by Section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Reserve Police Force Inspector (Hindi Translator) and Subedar Major (Hindi Translator) Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Inspector (Hindi Translator) and Subedar Major (Hindi Translator) Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Reserve Police Force Inspector (Hindi Translator) and Subedar Major (Hindi Translator) Recruitment Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

“2. Number of posts, classification, level in the pay matrix.- The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”.

3. In the said rules, in the Schedule, -

(1) in serial number 1, against the post of ‘Subedar Major(Hindi Translator)’,-

(a) in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

“Level in the pay matrix.”;

(ii) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-8 in the pay matrix Rs. 47600-151100.”;

(b) in column (11), for the words and brackets “ Inspector (Hindi Translator) who have rendered not less than two years regular service”, the words, brackets, figures and letters “ Inspector (Hindi Translator) in level-7 in the pay matrix Rs.44900-142400 with two years regular service” shall be substituted;

(2) in serial number 2, against the post of ‘Inspector(Hindi Translator)’,-

(a) in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

“Level in the pay matrix.”;

(ii) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-7 in the pay matrix Rs. 44900-142400.”;

(b) in column (11) in clause (a),-

(I) in item (ii), for the words, letters and figures “pay scale of Rs.9300-34800 plus Rs.4200 Grade pay”, the words, figures and letters “Level 6 in the pay matrix Rs.35400-112400” shall be substituted;

(II) in item (iii), for the words, letters and figures “pay scale of Rs.5200-20200 plus Rs.2800 Grade Pay” , the words, figures and letters “Level 5 in the pay matrix Rs.29200-92300” shall be substituted.

[F.No. R.IX.1/2020-Min-DA-3-PERS-II]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers.II)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide notification G.S.R.797 (E) dated the 20th October, 2015.

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 81.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में प्रोग्रामर (कंप्यूटर) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, प्रोग्रामर (कंप्यूटर), भर्ती नियम, 2021 है।

(ii) ये प्रोग्रामर (कंप्यूटर) राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—कोई ऐसा व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार सहाराय होती है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वगत विधियों के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए कारण लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. व्यावृत्ति.—केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए दिए गए आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर इन नियमों की किसी बात का कोई प्रभाव नहीं होगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रोग्रामर(कंप्यूटर)	02* (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स स्तर-6 (रु.35,400-1,12,400/-)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्प कालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणी जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति:- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त कानूनी संगठन/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों / विश्वविद्यालयों या राज्य प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों:- (क) (i) अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करते हों; या (ii) मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर—5 (रु. 29,200-92,300/-) या समकक्ष में नियुक्ति पश्चात छह वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर अनुप्रयोग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक डिग्री। (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन क्षेत्र में संबंधित दो वर्ष का अनुभव। टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 23011/135/2016-पीटी]

अर्चना वर्मा, उप सचिव

BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT

New Delhi, the 20th July, 2021

G.S.R. 81.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Programmer (Computer) in Central Academy for Police Training, Bhopal, the Bureau of Police Research and Development, in Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement .—(i) These rules may be called the Ministry of Home Affairs the Bureau of Police Research and Development, Central Academy for Police Training, Bhopal, Programmer (Computer) Recruitment Rules, 2021.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay level in the pay matrix .—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications .—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Programmer (Computer)	02* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted Non-Ministerial	Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400/-) in the pay matrix	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption; level from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Autonomous/ statutory organization or Public Sector Undertakings/ University or Recognised Research Institute. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; (ii) With six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-5 (Rs. 29200-92300/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience: (i) Bachelors Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science of a recognized university or Institute; (ii) Two years experience in related area under Central or State Government or Union Territories or Autonomous or statutory organization or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institute. Note. The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the date of receipt of applications.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No.23011/135/2016-PT]

ARCHANA VARMA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 82.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में भेषजज्ञ (प्रवेश श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी. भेषजज्ञ (प्रवेश श्रेणी), भर्ती नियम, 2021 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे-मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वें होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—कोई ऐसा व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वगत कानूनों के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए कारण लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।
6. **व्यावृत्ति.**—केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए दिए गए आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर इन नियमों की किसी बात का कोई प्रभाव नहीं होगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भेषजज्ञ (प्रवेश श्रेणी)	01* (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन-मैट्रिक्स स्तर - 5 (रु.29,200 – 92,300/-) प्रवेश श्रेणी में दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अगले उच्च श्रेणी अर्थात् लेवल-6 (जी.पी. वेतन रु. 4200/-) में अकृत्यिक उन्नयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे लेवल जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी जो:- (क) (i) अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सह्य पद धारण करते हो: या (ii) मूल केडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु. 25,500-81,100/-) में नियुक्ति पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो:- आवश्यक:- मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी (डी. फार्मा) में दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम। वांछनीय:- कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान। टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा. सं. 23011/216/2016 - पीटी]

सुनील बरेजा, अवर सचिव

New Delhi, the 26th July, 2021

G.S.R. 82.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist (Entry Grade) in Central Academy for Police Training, Bhopal in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Pharmacist (Entry Grade) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached to the said post, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pharmacist (Entry Grade)	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level – 5 (Rs. 29,200-92,300/-)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers under the Central Government or the State Government, - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; and (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 4 (Rs. 25500- 81100/-) in the pay matrix in parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:-	Not applicable	Not applicable.

Essential: Two years' diploma course in Pharmacy (D. Pharma) from a recognized Institute. Desirable: Working knowledge of computer. Note 1.-Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
---	--	--

[F.N. 23011/216/2016-PT]

SUNIL BAREJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 83.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में निरीक्षक (घुड़सवारी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल निरीक्षक (घुड़सवारी), भर्ती नियम, 2021 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**— कोई ऐसा व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार सहमत होती है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वगत कानूनों के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारण लेखबद्ध करके और संघ सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।
6. **व्यावृत्ति.**—केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए दिए गए आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर इन नियमों की किसी बात का कोई प्रभाव नहीं होगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निरीक्षक (घुड़सवारी)	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख", अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर - 7 (रु.44,900– 1,42,400/-)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं/प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे लेवल जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/ पुलिस संगठनों के अधिकारी जो:- (क) (i) अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सहाय्य पद धारण करते हो; या (ii) मूल काडर या विभाग में उप निरीक्षक या सूबेदार या प्लाटून कमांडर के रैंक में मैट्रिक्स के स्तर - 6 (रु. 35400-112400/-) में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो:- अनिवार्य:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक डिग्री। (ii) घुड़सवारी का दो वर्षों का अनुभव। टिप्पण -1: प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

टिप्पण - 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. 23011/136/2016 - पीटी]

सुनील बरेजा, अवर सचिव

New Delhi, the 26th July, 2021

G.S.R. 83.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Inspector (Riding) in Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Academy for Police Training, Bhopal, Inspector (Riding), Recruitment Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualifications.**—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Inspector (Riding).	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted Non-Ministerial.	Level 7 (Rs. 44900-142400/-).	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption level from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Police Organization,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in level 6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix in the rank of Sub-Inspector or Subedar or Platoon Commander in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: - Essential: (i) Bachelors Degree from a recognised university or institute; (ii) two years horse riding experience. Note 1: The period of deputation, including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 23011/136/2016-PT]

SUNIL BAREJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 84.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में ड्रिल अनुदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, ड्रिल अनुदेशक, भर्ती नियम, 2021 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों के उपबंध के साथ अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—कोई ऐसा व्यक्ति:-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए कारण लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियातों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ड्रिल अनुदेशक	08* (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर -7 (रु.44,900-1,42,400/-)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे लेवलजिनसेप्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो:- (क) (i) अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करते हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 6 (रु. 35400-112400/-) के पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात अपने कैडर या विभाग में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक डिग्री। (ii) निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में से एक किया गया हो:- शस्त्र एवं युक्ति या अन-आर्म्डकम्बैट या मैप रीडिंग या फील्डक्राफ्ट एवं युक्ति या शारीरिक प्रशिक्षण/ड्रिल। (iii) पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में ड्रिल अनुदेशक के रूप में दो वर्षों का कार्य अनुभव। वांछित: (i) पुलिस प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय खेल संस्थान से एक वर्षीय शारीरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। टिप्पणी 1. - प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं.-23011/78/2015-पीटी]

सुनील बरेजा, अवर सचिव

New Delhi, the 26th July, 2021

G.S.R. 84.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Drill Instructor in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement .**—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal (Drill Instructor), Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.** .—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** .—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** .— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Drill Instructor	08* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted Non-Ministerial.	Level-7 (Rs. 44900-142400/-).	Not applicable.	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Armed Police Forces or Central Police organisations , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing the following qualification and experience: - Essential: (i) Bachelors Degree from a recognised university or institute. (ii) have done one of the training courses, namely Weapons and tactics; or Un-Armed Combat; or Map reading; or Field craft and tactics; or Physical Training/ drill; (iii) two years' experience of working as Drill Instructor in a police training institute. Desirable: One year Physical Training course from a Police Training Institute or National Institute of Sports. Note 1: The period of deputation, including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 23011/78/2015-PT]

SUNIL BAREJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 85.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अधीन केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में सफाई निरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, सफाई निरीक्षक, समूह ख, अराजपत्रित पद, भर्ती नियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबंध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सफाई निरीक्षक	1* (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अन-नुसचिवीय।	स्तर - 6 (रु. 35,400 – 112,400/-)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्रों या स्वासित निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

संस्थानों के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5 (29,200 – 92,300/- रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्त के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो : और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षक अर्हताएं और अनुभव रखते हो, अर्थात:- आवश्यक:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विधा में स्नातक डिग्री। (ii) सफाई निरीक्षक का डिप्लोमा या स्वास्थ्य निरीक्षक का डिप्लोमा या सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक का डिप्लोमा। या:- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण । (ii) सफाई निरीक्षक का डिप्लोमा या स्वास्थ्य निरीक्षक का डिप्लोमा या सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक का डिप्लोमा। (iii) किसी मान्यता प्राप्त संगठन में स्वच्छता कार्य के व्यवहार में दो वर्ष का अनुभव । टिप्पण -1. प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण- 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा. सं. 23011/79/2015 - पीटी]

सुनील बरेजा, अवर सचिव

New Delhi, the 29th July, 2021

G.S.R. 85.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Sanitary Inspector in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Bureau of Police Research and Development, Central Academy for Police Training, Bhopal, Sanitary Inspector, Group B, Non-Gazetted post, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sanitary Inspector	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group B, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400/-)	Not applicable	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation including short-term contract

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a departmental promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (Including short-term contract) :- Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Autonomous or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Research Institutions,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre	Not applicable	Not applicable.

or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in a post in level-5 (Rs. 29200-92300/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; And (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- Essential:- (i) Bachelor degree in any discipline from any recognised University or Institute; (ii) Diploma in Sanitary Inspector or Diploma in Health Inspector or Diploma in Sanitary Health Inspector; Or (i) 12th Class pass from a recognised Board; (ii) Diploma in Sanitary Inspector or Diploma in Health Inspector or Diploma in Sanitary Health Inspector; (iii) two years' experience in dealing with sanitation works in any recognised organisation. Note 1.- The period of deputation (including short term contract), including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of application.		
---	--	--

[F. No. 23011/79/2015-PT]

SUNIL BAREJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 86.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो कनिष्ठ लेखाकार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2000 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय में कनिष्ठ लेखाकार के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, कनिष्ठ लेखाकार (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2021 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का समाधान होती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए कारण लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियातों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ लेखाकार	3* (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-5 (रु.29,200-92,300/-)	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य-क्षेत्र लदाख, के हिमाचल प्रदेश लाहौल एवं स्पिति जिला और चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप संघ राज्य-क्षेत्र में रहने वालों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक; और (ii) सरकारी कार्यालय या लोक उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में रोकड़, लेखा और बजट कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो। वांछनीय : कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान टिप्पण 1.- सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उसके लिए कारण लेखबद्ध करके कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2.- अनुभव संबंधी अर्हता को कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल किया जा सकता है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती में दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा जिसके न होने पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा जो निम्नलिखित योग्यताएं रखते हों:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करते हों; या (ii) मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर — 4 (रु. 25,500-81,100/-) या समकक्ष में नियुक्ति पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और जो सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा संचालित रोकड़ और लेखा कार्य का प्रशिक्षण अर्हित किया हो, और सरकारी कार्यालय या लोक उपक्रम या	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण हेतु) (i) सहायक निदेशक (प्रशासन), पु.अ. और वि.ब्यूरो - अध्यक्ष (ii) प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी, पु.अ. और वि.ब्यूरो - सदस्य (iii) महानिदेशक, पु.अ. और वि.ब्यूरो द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में रोकड़, लेखा और बजट कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा.सं. 23011/170/2017 – PT]

सुनील बरेजा, अवर सचिव

New Delhi, the 29th July, 2021

G.S.R. 86.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Police Research and Development Junior Accountant (Group ‘C’ post) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Accountant in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely: -

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Bureau of Police Research and Development, Junior Accountant (Group ‘C’ post), Recruitment Rules, 2021.
- They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualifications.**— No person,—
 - who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Accountant.	03* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted Ministerial.	Level-5 (Rs. 29,200-92,300/-)	Not applicable	18-27 years (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Island or union territory of Lakshdweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelor degree from a recognized university; and (ii) two years' experience in cash, accounts and budget work in a Government office or	Not applicable	Two years' for direct recruits	By deputation or absorption, failing which by direct recruitment through Staff Selection Commission

Public Sector Undertaking or Autonomous body or Statutory body. Desirable: Working knowledge of computer. Note 1. - Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2. - Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption; level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation or absorption from the officers of the Central Government or State Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' of regular service in the grade rendered after appointment thereto in level-4 (Rs. 25,500-81,100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) and are possessing two years' experience of cash, accounts and budget work in a Government office or Public Sector undertaking or Autonomous body or Statutory body. Note 1. - Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : (1) Assistant Director (Admn.), Bureau of Police Research and Development - Chairman (2) Administrative Officer or Section Officer, Bureau of Police Research and Development - Member (3) One Gazetted Officer to be nominated by the Director General, Bureau of Police Research and Development - Member	Not applicable.

the Central Government, shall ordinarily not to exceed three years.		
Note 2. - The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.		

[F. No. 23011/170/2017-PT]

SUNIL BAREJA, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय**(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)**

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 87.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में भंडार अधीक्षक, समुह 'ख' पद भर्ती नियम, 2010 उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में भंडार अधीक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, भंडार अधीक्षक, भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की सविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की सविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भंडार अधीक्षक	7* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-06 (35400-112400 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिविक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) के स्तर 4 में ऐसा भण्डारी जिसने केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और स्तर 3 (21700-69100 रु.) में राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण संस्थान रायपुर या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर पर से सामग्री संभलाई या भंडार का रख-रखाव और भंडारों का लेखांकन पर दो सप्ताहों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया हो। टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिये) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - अध्यक्ष - इंजिनियरी स्थापना, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड का समूह 'क' का अधिकारी - सदस्य - केन्द्रीय सरकार के विभाग से समूह 'क' - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविधालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान के अधिकारी अ (i) मूल संवर्ग या नियमित आधार पर सदृश पदधारण करते हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर 05 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष सेवा की हो, और (आ) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हो: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्यक या सांख्यिकी या कारोबार अध्ययन या लोक प्रशासन के साथ मास्टर डिग्री (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविधालय या मान्यता प्राप्त संस्थान के भंडार या संबद्ध में संभालने भंडारो और लेखा पालनो में एक वर्ष अनुभव हो; या (i) मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या संस्थान से विषय के रूप में अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या कारोबार अध्ययन या लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या संस्थान में सामाग्री प्रबंधन या भंडारण प्रबंधन या खरीद या संभार- तंत्र या लोक उपासन में डिप्लोमा (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी या स्वायत्त संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविधालय या अनुसंधान संस्थान से भंडार या संबद्ध में संभालने में भंडार लेखा पालन में दो वर्ष अनुभव हो टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे, विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,		
---	--	--

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि हैं साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा.सं. ए. 31012/04/2017- सी.जी.डब्ल्यू.बी]

अश्वय कुमार साहू, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI**(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)**

New Delhi, the 26th July, 2021

G.S.R. 87.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Store Superintendent, Group 'B' Post, recruitment Rules 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Store Superintendent** in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. Short title and commencement .— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, **Store Superintendent**, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No persons:-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Store Superintendent	7* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Non-ministerial, non-Gazetted, Group 'B'	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix	Selection Post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion failing which deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grade from which promotion / deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Store Keeper in Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) in Central Ground Water Board with ten years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training on material handling, Storekeeping and stores accounting Level-3 (Rs. 21700-69100), from National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or any other National level recognised institute. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director (Administration), Central Ground Water Board, -Chairman, 2. Group 'A' officer of Engineering Establishment, Central Ground Water Board -Member, 3. A Group-A from another Central Government Department -Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.s Deputation (Including short term contract): Officers of Central Government or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution. ((A) (i) holding analogous posts in the parent cadre or department on regular basis; or (ii) with six years services in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level-5 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing following educational qualifications and experience: (i) Masters degree with Economics or Commerce or Statistics or Business studies or Public Admn. from a recognised University or Institute. (ii) One year experience in handling stores and keeping accounts in a store or in a concern of Central or State govt. or Union Territory Admn. Or Statutory or Autonomous Organisation or Public Sector Undertaking or University or recognised research institution OR (i) Bachelors degree in Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Admin. as a subject from a recognised University or Institute. (ii) Diploma in Material Management or Warehousing Management or Purchasing or Logistics or Public Procurement from a recognised University or Institute. (iii) Two years experience in handling stores and keeping account in a store or in a concern of Central Government or State Government or Union Territory Admn. or Statutory or Autonomous Organisation or Public Sector Undertaking or University or recognised research institution. Note1: The departmental officials in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for		
---	--	--

appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (Including short term contract) including the period of another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.		
--	--	--

[F.No.A.31012/04/2017-CGWB]

A. K. SAHOO, Under Secy.